

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मणिकांत सिंह उर्फ दुन्ना सिंह

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 210/2014

18 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली,

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सजा दिए जाने का आदेश, साक्ष्यगत असंगतियों और गवाहों की विश्वसनीयता को देखते हुए न्यायोचित था?

हेडनोट्स

जांच अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण कागज आवश्यक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. को नहीं भेजा। उसने घटनास्थल से प्राप्त रक्तंजित मिट्टी तथा बरामद खोखे भी परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. को नहीं भेजे। (पैरा - 34)

जांच अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा/मानचित्र तैयार नहीं किया और न ही उसने प्रथम सूचक के घर और घटनास्थल के बीच की दूरी के बारे में जांच की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कहानी कि प्रथम सूचक और उसका भाई प्रत्यक्षदर्शी थे, विश्वास योग्य नहीं है। (पैरा - 37)

अभियोजन अपीलकर्ता के विरुद्ध संदेह से परे मामला सिद्ध करने में असफल रहा। अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा - 38, 40)

न्याय दृष्टान्त

वीरेन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2022 एस.सी. 3373; राजा राम बनाम राजस्थान राज्य, (2005) 5 एस.सी.सी. 272; बहाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य,

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2032; अस्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 14 एस.सी.सी. 448; जावेद मसूद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 979

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड विधान, 1860 – धारा 302 सहपठित धारा 34; शस्त्र अधिनियम, 1959 – धारा 27; दंड प्रक्रिया विधान, 1973 – धारा 374(2)

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; प्रत्यक्षदर्शी की विश्वसनीयता; संयोगवश गवाह; प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब; शत्रु गवाह घोषित नहीं; साक्ष्यगत विरोधाभास; फॉरेंसिक कमी; बरी

प्रकरण से उत्पन्न

बेलसंड थाना कांड संख्या 126/2011, जिला सीतामढ़ी, जो सत्र वाद संख्या 168/2012-47/2013 में पारित 21.01.2014 के दोषसिद्धि आदेश एवं 27.01.2014 के दंडादेश से उत्पन्न हुआ, जिसे प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री अजय कुमार ठाकुर; सुश्री वैष्णवी सिंह; श्री रित्विक ठाकुर; सुश्री किरण कुमारी; श्री तेजेन्द्र सिन्हा।

राज्य की ओर से: श्री बिनोद बिहारी सिंह।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की आपराधिक अपील (खं.पी.) स.210**

थाना कांड संख्या-126 वर्ष-2011 थाना-बेलसंड जिला-सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

मणिकांत सिंह उर्फ दुन्ना सिंह पिता रत्नेश्वर सिंह निवासी गाँव- मधकॉल, थाना- बेलसंड,
जिला-सीतामढ़ी

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता
सुश्री किरण कुमारी, अधिवक्ता
श्री तेजेंद्र सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बिनोद बिहारी सिंह, अपर लोक अभियोजक

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

ओरल जजमेंट

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक:18-08-2023

वर्तमान अपील अपीलकर्ता/दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें 21 जनवरी, 2014 के दोषसिद्धि आदेश और 27 जनवरी, 2014 के दंडादेश को चुनौती दी गई है जो विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा बेलसंड थाना कांड संख्या 126/2011 से उत्पन्न एस.टीआर. संख्या 168/2012 सह 47/2013 में पारित किया गया था, जिसके तहत संबंधित विचारण

न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड विधान की धारा 302 सहपठित धारा 34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अपीलकर्ता को धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास होगा। इसके अलावा, धारा 27, आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:-

“संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 01.12.2011 को सुबह 08.45 बजे, सूचक के पिता हरिशंकर प्रसाद पान लेने गए थे। अचानक, उपेंद्र सिंह, सुदिष्ट सिंह, मणिकांत सिंह उर्फ टुन्ना सिंह और नीतीश सिंह नाम के चार बदमाश पिस्तौल से लैस होकर वहाँ आ धमके और उनके पिता को देखकर, उपेंद्र सिंह नामक एक बदमाश ने उन्हें जान से मारने का आदेश दिया, जिस पर बदमाशों ने उनके पिता पर पिस्तौल से गोली चला दी, जो उनके पंजरा, पेट के बाएँ हिस्से, बाएँ हाथ और दाहिनी जांघ पर लगी। उनके पिता घायल हो गए और गिर पड़े। हल्ला होने पर, बदमाशों ने पिस्तौल से गोली चलाकर भागने की कोशिश की। उनके साथ दो अन्य बदमाश भी थे। सूचक के फर्दबयान में यह भी उल्लेख है कि बदमाशों की उनके पिता से पिछले मुखिया चुनाव के कारण पुरानी दुश्मनी है। घायल को सूचना देने वाले, उसके भाई सुरेश गौतम और अन्य द्वारा इलाज के लिए एस.के.एम.सी.एच मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।”

3. शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, बेलसंड थाना में कांड संख्या 126/2011 दिनांक 01.12.2011 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जो भा.द.वि. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत कथित दंडनीय अपराधों के लिए थी।

4. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जाँच एजेंसी ने जाँच की और जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जाँच पूरी होने के बाद, जाँच अधिकारी ने वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप

पत्र दायर किया।

5. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि प्राथमिकी दो नामित अभियुक्तों और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। वर्तमान अपीलकर्ता को प्राथमिकी में अभियुक्त संख्या 3 के रूप में दर्शाया गया था। चूँकि अन्य सह-अभियुक्त सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता का मुकदमा अलग कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इसके बाद, अपीलकर्ता/अभियुक्त का आगे का बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया और सुनवाई समाप्त होने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया जिसके तहत वर्तमान अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

6. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री बिनोद बिहारी सिंह को सुना गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अ.सा.-1 से अ.सा.-6 द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाह स्वाभाविक गवाह हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। उक्त गवाहों ने वर्तमान अपीलकर्ता का नाम हमलावर के रूप में नहीं बताया है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अ.सा.-1 से अ.सा.-6 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था और इसलिए, उनका बयान अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है। उक्त तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य** मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जो **एआईआर 2022 एससी 3373** में दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैरा 7 पर भरोसा किया है। इस स्तर पर,

विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2005 (5) SCC 272 में दर्ज राजा राम बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए निर्णय और AIR 1976 SCC 2032 में दर्ज बहाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। विद्वान अधिवक्ता ने 2011 (14) SCC 448 में दर्ज अस्सू बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले और AIR 2010 SC 979 में दर्ज जावेद मसूद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है।

8. इसके बाद, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अ.सा.-7 से अ.सा.-9 को दिए गए बयान का हवाला दिया। उक्त गवाहों के बयान का हवाला देते हुए, मुख्यतः यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त सभी गवाह संयोगवश गवाह हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति अप्राकृतिक है। अन्यथा भी, उक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास और चूक हैं और इसलिए, विचारण न्यायालय ने उक्त गवाहों पर भरोसा करके त्रुटि की है।

9. इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अ.सा.-10 अर्थात् सुरेश गौतम, जो मृतक का पुत्र और मूल प्रथम सूचक का भाई है, और साथ ही अ.सा.-11 अर्थात् गणेश गौतम, जो मृतक का पुत्र और मूल प्रथम सूचक भी है, यद्यपि विचाराधीन घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त गवाहों के बयानों का उल्लेख किया और अ.सा.-13, बासुदेव प्रसाद यादव, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया और उसके बाद दलील दी कि जांच अधिकारी ने घटनास्थल का रेखाचित्र/नक्शा तैयार नहीं किया था। यह भी बताया गया कि, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, प्रथम सूचक भूतल पर स्थित फ्लैट में रहता था और इसलिए, प्रथम सूचक और उसके भाई अर्थात् सुरेश गौतम के लिए अपने घर से विचाराधीन घटना को देखना मुश्किल था।

10. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने,

तत्पश्चात, यह प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले और जाँच अधिकारी, अ.सा.-13 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, संबंधित पुलिस अधिकारी, संबंधित घटना के घटित होते ही, सुबह 8:45 बजे घटनास्थल पर पहुँच गया था और उक्त अधिकारी ने हमलावरों का पीछा भी किया था। हालाँकि, उक्त पुलिस अधिकारी सुबह 8:45 बजे से ही घटनास्थल पर मौजूद थे, फिर भी प्राथमिकी शाम 6:00 बजे दर्ज की गई। उक्त अवधि के दौरान, वर्तमान अपीलकर्ता सहित किसी ने भी हमलावरों का नाम जाँच अधिकारी को नहीं बताया था।

11. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि यद्यपि तथाकथित चश्मदीद गवाह, अ.सा.-10 सुरेश गौतम, मृतक का पुत्र, घटनास्थल पर मौजूद था और उसके बयान के अनुसार, उसके मृत पिता ने कागज़ का एक टुकड़ा और स्केच पेन निकाला था और उसके बाद, हमलावरों के नाम, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल था, उक्त कागज़ के टुकड़े पर लिखे थे। हैरानी की बात यह है कि उक्त तथ्य का खुलासा उन्होंने मूल प्रथम सूचक अर्थात् गणेश गौतम को नहीं बताया था। अ.सा.-11 गणेश गौतम द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, उसने अपने मृत पिता द्वारा लिखी गई तथाकथित चिट का उल्लेख नहीं किया था, जिसमें हमलावरों के नाम उल्लेखित हैं। यह भी दलील दी गई है कि मृतक द्वारा कथित रूप से लिखी गई उक्त चिट 21 दिनों की अवधि के बाद जांच अधिकारी को सौंपी गई थी और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उक्त दस्तावेज एक मनगढ़ंत दस्तावेज है।

12. इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित कर दिया है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए और उसे अपास्त कर दिया जाए और वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए।

13. दूसरी ओर, विद्वान स.लो.अ. ने इस अपील का पुरजोर विरोध किया है। विद्वान स.लो.अ. ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अ.सा.-7, अ.सा.-8 और अ.सा.-9

संबंधित घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने वर्तमान अपीलकर्ता और उसकी पहचान करने वाले गवाहों का विशेष रूप से नाम लिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अ.सा.-10 और अ.सा.-11, जो मृतक के पुत्र हैं, भी संबंधित घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और प्रथम सूचक अ.सा.-11 ने स्वयं प्राथमिकी में अपीलकर्ता का नाम विशेष रूप से दिया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतक ने स्वयं कागज़ के टुकड़े पर हमलावरों का नाम लिखा है और उक्त दस्तावेज़ अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि अ.सा.-1 से अ.सा.-6 ने अपीलकर्ता के विरुद्ध विशेष रूप से गवाही नहीं दी, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। अतः, विद्वान स.लो.अ. ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसलिए, यह अदालत वर्तमान अपील पर विचार नहीं कर सकती है।

14. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमने गवाहों द्वारा दिए गए बयान और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है। सर्वप्रथम, यह ध्यान देने योग्य है कि कथित घटना 01.12.2011 को प्रातः लगभग 08:45 बजे अ.सा.-1 मंगल साहनी की पान की दुकान के पास हुई थी। यद्यपि उक्त घटना के कथित प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, फिर भी, प्राथमिकी 01.12.2011 को शाम 06:00 बजे दर्ज की गई। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ। प्रथम सूचक ने प्राथमिकी में कहा है कि 01.12.2011 को प्रातः 08:45 बजे उसके पिता पान की दुकान पर गए थे और वे अधिवक्तातखाना गेट के पास स्थित उक्त दुकान के पास पहुँचे। अचानक, प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपी घटनास्थल पर

आ धमके और आरोपी उपेंद्र सिंह ने अन्य आरोपियों से प्रथम सूचक के पिता की हत्या करने को कहा। इसके बाद, चारों आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में प्रथम सूचक के पिता घायल हो गए। प्रथम सूचक ने यह भी कहा है कि यह घटना *मुखिया* के चुनाव के कारण हुई थी। उसने प्राथमिकी में आगे कहा है कि उसके घायल पिता को वह और उसका भाई सुरेश गौतम आवश्यक उपचार के लिए एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले गए थे और उपचार के दौरान, संबंधित डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

15. अ.सा.-1, मंगल साहनी, जो पान की दुकान का मालिक है, ने अपनी मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की तारीख को सुबह 9:30 बजे जब वह अपनी दुकान पर था, हरिशंकर प्रसाद (मृतक) उसकी दुकान पर आया और पान खाकर बेंच पर बैठ गया। उसी समय, दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर चार व्यक्ति आए और दूसरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हरिशंकर प्रसाद पर गोलीबारी शुरू कर दी। उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमलावर ने हेलमेट पहना था और उसने हमलावर की पहचान नहीं की।

16. अ.सा.-2, शंभू कुमार अपनी दवा की दुकान पर आ रहे थे। उसी समय, उन्होंने गोलीबारी की आवाज सुनी और देखा कि हरिशंकर प्रसाद घायल हो गए थे। हालाँकि, उन्होंने हमलावर की पहचान नहीं की। उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

17. अ.सा.-3, रौशन कुमार, जो डॉक्टर के दवा दूकान में कार्यरत था, ने गवाही दी थी कि सुबह लगभग 9:00 से 9:30 बजे के बीच मंगल साहनी की पान की दुकान पर दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें हरिशंकर प्रसाद *मुखिया* की मृत्यु हो गई। उक्त गवाह ने जब्ती सूची (प्रदर्श-1) पर हस्ताक्षर की भी पहचान की। संबंधित पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का *पंचनामा* तैयार किया और खून से सनी मिट्टी और छह खाली कारतूस एकत्र किए। हालाँकि, उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपीलकर्ता दुन्ना सिंह को जानता है, जो अदालत में मौजूद है। हालाँकि, उसने

हरिशंकर प्रसाद *मुखिया* पर हमला करने वालों की पहचान नहीं की थी।

18. अ.सा.-4, हरिश्चंद्र सहनी की घटनास्थल पर किराने की दुकान थी। उक्त गवाह ने गवाही दी थी कि कुल चार व्यक्ति दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर घटनास्थल पर आए थे। हरिशंकर प्रसाद *मुखिया* पान की दुकान के पास बेंच पर बैठे थे और दूसरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसमें गोली *मुखियाजी* को लगी। उक्त गवाह ने आगे बताया कि वह बेलसंड निवासी आरोपी दुन्ना सिंह को जानता है। हालाँकि, वह हमलावर नहीं था।

19. अ.सा.-5, अशोक ठाकुर एक बक्सा दुकान के मालिक हैं। उक्त व्यक्ति ने भी मंगल सहनी की दुकान के पास हुई गोलीबारी की आवाज़ सुनी थी और हमलावरों ने गोलीबारी की थी जिसमें हरिशंकर प्रसाद *मुखिया* घायल हो गए थे। उक्त गवाह ने भी हमलावरों की पहचान नहीं की थी। उक्त गवाह को यह भी नहीं पता कि हमलावर कौन थे।

20. अ.सा.-6, राजेश कुमार राकेश, *पंचनामा* (प्रदर्श 1/1) के साक्षी हैं। उक्त *पंचनामा* के माध्यम से, संबंधित पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल से खाली कारतूस और खून से सनी मिट्टी एकत्र की।

21. अ.सा.-7, दरोगा सहनी, ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के दिन वह बेलसंड बाजार खाद खरीदने गए थे। उन्होंने देखा कि *मुखियाजी* पान की दुकान के पास बेंच पर बैठे थे। उसी समय, दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर छह व्यक्ति घटनास्थल पर आए। उक्त गवाह ने अपीलकर्ता सहित चार हमलावरों के नाम भी बताए थे। उन्होंने आगे कहा कि *मुखियाजी* के घायल होने के बाद, सभी हमलावर मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गए और उसके बाद घायल *मुखियाजी* को बेलसंड अस्पताल ले जाया गया। *मुखियाजी* का बड़ा बेटा डॉक्टर को बुलाने गया। उस समय, *मुखियाजी* ने कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ लिखा। हालाँकि, उक्त गवाह ने आगे कहा है कि वह अशिक्षित है और इसलिए उसे नहीं पता कि *मुखियाजी* ने क्या लिखा है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त

कागज़ का टुकड़ा *मुखियाजी* ने अपने छोटे बेटे को दिया था और उसके बाद, *मुखियाजी* को मुजफ्फरपुर ले जाया गया। इसके बाद, उसे पता चला कि *मुखियाजी* की मृत्यु हो गई है। प्रति परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और वह मजदूरी करता रहा है। उसका गाँव रूपौली पंचायत में आता है और मृतक उक्त पंचायत का *मुखिया* था। उसका *मुखियाजी* (मृतक) से संबंध था। उक्त गवाह ने अपनी प्रति परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह *मुखियाजी* के पास घटनास्थल पर पहुँचा, *मुखियाजी* ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय, उसके अलावा, कोई और मौजूद नहीं था। उसने आगे कहा कि *मुखियाजी* अचेत अवस्था में थे। उसने आगे स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि घटनास्थल पर पहुँचने के बाद, मृतक के दोनों बेटे वहाँ आए और उक्त गवाह ने मृतक के बेटों को घटना के बारे में बताया। उसने यह भी कहा है कि मृतक द्वारा अपने बेटे को दिया गया कागज़ का टुकड़ा 10-11 दिनों के बाद पुलिस को सौंप दिया गया था। उस समय, उक्त गवाह भी मौजूद था।

22. अ.सा.-8, सत्येंद्र साहनी एक गवाह हैं जिन्होंने दावा किया है कि वह फोटोकॉपी मशीन की दुकान पर मौजूद थे। उन्होंने गवाही दी है कि हरिशंकर प्रसाद *मुखियाजी* मंगल साहनी की पान की दुकान पर आए और उसके बाद, पान की दुकान के पास बेंच पर बैठ गए। उसी समय, तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार लोग आए और उक्त व्यक्तियों ने *मुखियाजी* पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें वह घायल हो गए। उक्त गवाह ने वर्तमान अपीलकर्ता सहित चार हमलावरों के नाम भी बताए। प्रति परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के तुरंत बाद, वह उक्त स्थान के पास पहुँच गया था। हालाँकि, उस समय उसके अलावा, कोई भी मौजूद नहीं था। वह 6-7 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँचा। उस समय, *मुखियाजी* बेहोश थे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद, *मुखियाजी* का बेटा उक्त स्थान पर आया।

23. अ.सा.-9, प्रभु साहनी ने मुख्य परीक्षण में कहा था कि वह दवा खरीदने

के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था। उस समय, उसने देखा था कि चार व्यक्ति दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर घटनास्थल पर आए थे। उसने वर्तमान अपीलकर्ता और तीन अन्य लोगों का नाम उस व्यक्ति के रूप में बताया था जिसने गोलीबारी की थी और घटना के बाद, *मुखियाजी* का बेटा और अन्य व्यक्ति उक्त स्थान पर आए थे। इसके बाद, घायल को अस्पताल ले जाया गया। प्रति परीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि जब वह *मुखियाजी* के पास पहुँचा, तो वह कुछ कह रहे थे और उसके बाद, उसे अस्पताल ले जाया गया।

24. अ.सा.-10, सुरेश गौतम मृतक का पुत्र और प्रथम सूचक का भाई है। उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षण में कहा है कि 01.12.2011 को घटना के समय, वह शर्माजी नामक व्यक्ति के घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था। उसके पिता मंगल साहनी की पान की दुकान पर गए थे और जब उन्होंने गोलीबारी की आवाज सुनी, तो उन्होंने देखा कि हमलावर उसके पिता पर गोलियाँ चला रहे थे। उक्त गवाह ने हमलावरों के नाम भी बताए हैं। उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके घायल पिता को पहले बेलसंड के अस्पताल ले जाया गया था और जब उसका भाई डॉक्टर को बुलाने गया, तो उसके पिता ने एक कागज़ निकाला और उस पर चारों व्यक्तियों के नाम लिखे। इसके बाद, डॉक्टर आए और बताया कि घायल को एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर ले जाया जाए। इसके बाद, उसके पिता को उक्त अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसके पिता को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त गवाह ने अभियुक्त द्वारा अपराध करने के उद्देश्य, अर्थात् *मुखिया* के चुनाव के बारे में भी बताया है। हालाँकि, उक्त गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता/अभियुक्त दुन्ना सिंह की उसके पिता से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने आगे कहा था कि उसके पिता का प्राथमिक उपचार बेलसंड अस्पताल में किया गया था और जब उसने कागज़ पर लिखा था, तब उसके पिता अर्ध-चेतन अवस्था में थे। उक्त गवाह ने अपने भाई को यह नहीं बताया कि उसके पिता ने हमलावरों का नाम कागज़ पर लिखा था। यहाँ तक कि जब पुलिस को पहली सूचना दी गई थी, तब भी उसने उक्त पहलू का खुलासा नहीं किया

था।

25. अ.सा.-11, गणेश गौतम, मृतक का पुत्र और प्रथम सूचक है। उसने अपनी मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना 01.12.2011 को सुबह 8:45 बजे हुई थी। उसके पिता मंगल साहनी की पान की दुकान पर गए थे। उसी समय, चार हमलावर घटनास्थल पर आए और जब उपेंद्र सिंह ने अन्य हमलावरों से अपने पिता को मारने के लिए कहा, तो चारों लोगों ने पिस्तौल निकाली और गोलियां चला दीं, जिसमें उसके पिता के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। इसके बाद, उसके पिता को पहले बेलसंड के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। संबंधित डॉक्टर ने उन्हें एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया और जब वे मुजफ्फरपुर के अस्पताल पहुँचे, तो उनके पिता को मृत घोषित कर दिया गया। जब वह मुजफ्फरपुर से लौटा, तो उसके भाई ने उसे बताया कि उसके पिता ने हमलावरों का नाम एक कागज़ पर लिखा था और वह कागज़ उसे भी दिखाया गया था। हालाँकि, प्रति परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने बताया था कि वे तीन मंजिला इमारत के भूतल पर रहते थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके घर और मंगल साहनी की दुकान के बीच कई निर्मित मकान थे।

26. अ.सा.-12, डॉ. बिपिन कुमार, मुजफ्फरपुर के अस्पताल में कार्यरत थे। उक्त गवाह ने मृतक का *पोस्टमार्टम* किया था। उक्त गवाह ने मृतक को लगी चोटों के बारे में विशेष रूप से निम्नलिखित विवरण दिया है:-

“शव की पहचान 05/03 चौकीदार सुखदेव राम ने की। मृतक की मृत्यु से पहले की चोट के कारण शरीर के ऊपरी हिस्से में अकड़न थी :-

1. बाईं छाती के निचले हिस्से पर एक अंडाकार घाव, 1"x1/2"x कैविटी गहरा, जिसके चारों ओर कालापन और उलटा किनारा था, जो आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव को दर्शाता है।

2. बाईं पीठ के बीच में एक अंडाकार घाव, 1½"x 1/2" का था, जिसका किनारा बाहर की ओर निकला हुआ था, जो आग्नेयास्त्र के निकास घाव को दर्शाता है। चोट संख्या 1 और 2 आपस में

जुड़ी हुई थीं, जिसमें प्रक्षेप्य ने पसलियों को तोड़ दिया था और फेफड़ों के निचले हिस्से को फाड़ दिया था। छाती की गुहा खून से भरी हुई थी।

3. पेट के बाईं ओर एक अंडाकार घाव, नाभि से एक इंच नीचे और चार इंच बाहर की ओर था, जिसके चारों ओर कालापन और उलटा किनारा था। यह 1" x ½" x कैविटी गहरा था, जो प्रवेश घाव दर्शाता है।

4. पेट के निचले दाहिने हिस्से पर एक अंडाकार घाव था। दाहिने इलियाक क्रेस्ट से दो इंच ऊपर, 2" x 1" का, जिसका किनारा बाहर की ओर निकला हुआ था, जो निकास घाव दर्शाता है।

चोट संख्या 3 और 4 आपस में जुड़ी हुई थीं और एक ही गोली ने कई जगहों पर आंतों को और घाव संख्या 4 के माध्यम से भीतरी हिस्से को भेद दिया था। पेट की गुहा खून से भरी हुई थी।

5. बाईं ऊपरी भुजा पर बाहरी सतह पर एक अंडाकार घाव, 1½" x ½" का, कोहनी के जोड़ से 3" ऊपर, जिसके चारों ओर कालापन और बाहर निकला हुआ किनारा था, जो प्रवेश घाव को दर्शाता है।

6. बाईं भुजा के अंदरूनी हिस्से पर एक अंडाकार घाव, 2" x ¾" का, कोहनी के जोड़ से छह इंच ऊपर, जिसका किनारा बाहर निकला हुआ था।

राय:- मृतक की मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई, जो आग्नेयास्त्र से लगी उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप हुई, संभवतः पिस्तौल से।

ये चोटें सामान्य मृत्यु के लिए पर्याप्त हैं। मृत्यु के बाद से बीता समय जांच के समय से 2 से 12 घंटे के भीतर है।"

27. अ.सा.-13, बासुदेव प्रसाद यादव घटना दिनांक को बेलसंड थाने में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि प्राथमिकी 01.12.2011 को शाम 6:00 बजे दर्ज की गई थी। उन्होंने जाँच रिपोर्ट तैयार की थी और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उन्होंने आगे जब्ती सूची तैयार की और घटनास्थल से खाली कारतूस और खून से सनी मिट्टी एकत्र की। उक्त गवाह ने विशेष रूप से

बताया है कि 22.12.2011 को, सुरेश गौतम, पिता हरिशंकर प्रसाद ने वह कागज़ का टुकड़ा पेश किया जिस पर मृतक ने हमलावरों के नाम अपनी लिखावट में लिखे थे। उक्त दस्तावेज़ प्रदर्श-7 में पेश किया गया था। उक्त गवाह ने प्रति परीक्षण में यह भी बताया है कि बेलसंड थाना घटनास्थल से 200 से 250 गज की दूरी पर स्थित है। उन्होंने आगे बताया कि गोलीबारी की घटना के संबंध में सूचना पुलिस स्टेशन में सुबह 8:45 बजे प्राप्त हुई और वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और घटनास्थल की जाँच की। उन्होंने हमलावर का पीछा भी किया और उसके बाद घटनास्थल का *पंचनामा* तैयार किया। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने घटनास्थल का नक्शा/रेखाचित्र तैयार नहीं किया था। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 01.12.2011 को शाम 6:00 बजे एफआईआर दर्ज होने से पहले, किसी ने भी हमलावरों का नाम नहीं बताया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि मृतक द्वारा कथित रूप से लिखा गया कागज़ का टुकड़ा 12.11.2011 को दिया गया था। हालाँकि, उन्होंने उक्त पत्र को आवश्यक राय के लिए एफ.एस.एल को नहीं भेजा। उन्होंने खाली कारतूस और खून से सनी मिट्टी भी एफ.एस.एल को विश्लेषण के लिए नहीं भेजी।

28. अ.सा. 14, राज किशोर प्रसाद सिंह अहियापुर पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। उन्होंने एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर के आपातकालीन वार्ड में गणेश गौतम द्वारा दी गई सूचना दर्ज की है। *फर्दबयान* उनकी लिखावट में है।

29. उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से यह कहा जा सकता है कि अ.सा.-1 से अ.सा.-6 स्वाभाविक गवाह हैं जो स्वाभाविक रूप से घटनास्थल पर उपस्थित थे। अ.सा.-1, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पान की दुकान का मालिक था, जबकि अ.सा.-2 दवा की दुकान का मालिक था। अ.सा.-4 किराना दुकान का मालिक है, जबकि अ.सा.-5 डिब्बे की दुकान का मालिक है। ये सभी दुकानें अ.सा.-1 मंगल साहनी की पान की दुकान के पास स्थित हैं। यदि इन सभी गवाहों के बयानों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए, तो यह पता चलता है कि इनमें से किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा था कि वर्तमान

अपीलकर्ता/अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी गवाह अभियोजन पक्ष के गवाह हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा इन गवाहों को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है।

30. इस स्तर पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वीरेंद्र (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय पर विचार किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय के **पैराग्राफ-7** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“दोनों अदालतों ने बचाव पक्ष पर भार डाल दिया। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को या तो उदासीन गवाहों के रूप में या अप्रासंगिक साक्ष्य के रूप में खारिज कर दिया गया। हम ध्यान दें कि ये सभी अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिन्हें पक्षद्रोही नहीं माना गया। अ.सा.10 को छोड़कर, उन्हें पक्षद्रोही मानने या उनसे दोबारा पूछताछ करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अ.सा.15 की उपस्थिति के बारे में उन्हें कोई सुझाव भी नहीं दिया गया। ऐसे परिदृश्य में, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के पक्ष में दिया गया बयान निश्चित रूप से उसके हित में होगा। हमारा मत राजा राम बनाम राजस्थान राज्य, (2005) 5 एससीसी 272: (एआईआर ऑनलाइन 2000 एससी 474) में इस न्यायालय के निर्णय से पुष्ट होता है”

31. **जावेद मसूद एवं अन्य (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यदि गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपक्षी घोषित नहीं किया जाता है, तो उसका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है।

32. **अस्सू (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार की टिप्पणी की है।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जाँच की जाए, तो यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को अ.सा.-1 से अ.सा.-6 के बयानों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिनमें उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि अपीलकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और वह हमलावर नहीं था।

34. जहाँ तक अ.सा.-7 द्वारा अ.सा.-9 को दिए गए बयान का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त गवाह एक ही गाँव, ओइलपुर के निवासी हैं। इन सभी गवाहों ने कहा है कि वे अलग-अलग उद्देश्यों से घटनास्थल के पास गए थे। उक्त सभी गवाहों ने कहा है कि मृतक मंगल साहनी की पान की दुकान के पास बेंच पर बैठा था। हालाँकि, प्रथम सूचक गणेश गौतम ने प्राथमिकी में, जो 9 घंटे से अधिक समय बाद शाम 6:00 बजे दर्ज की गई थी, कहा है कि जब उनके पिता अधिवक्तातखाना गेट के पास स्थित पान की दुकान के पास पहुँचे, तो प्राथमिकी में नामित चार आरोपी उक्त स्थान पर आए। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में बड़ा विरोधाभास है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-8 ने बताया है कि हमलावर तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर आए थे, जबकि अ.सा.-7, दरोगा साहनी ने बताया था कि छह व्यक्ति दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर आए थे, जबकि अ.सा.-9 ने गवाही दी थी कि घटनास्थल पर चार व्यक्ति दो अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर आए थे। यदि उपरोक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए, तो यह पता चलता है कि अ.सा.-7 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सबसे पहले वह *मुखियाजी* के पास पहुँचा जब वह ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय, उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था और *मुखियाजी* बेहोश थे, जबकि अ.सा.-8, सत्येंद्र साहनी ने अपनी प्रति परीक्षण में कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ *मुखियाजी* ज़मीन पर गिरे थे, तो उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था और कुछ समय बाद, मृतक के दो बेटे और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-7 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी उपस्थिति में, *मुखियाजी* ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ लिखा था और उसके बाद, वह उसके बेटे को दे दिया गया। हालाँकि, उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज करते समय इस पहलू का खुलासा नहीं किया। उक्त कागज़ का टुकड़ा अ.सा.-10 सुरेश गौतम द्वारा 21 दिनों की अवधि के बाद जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त पहलू को जाँच अधिकारी, अ.सा.-13 बासुदेव प्रसाद यादव द्वारा

विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। जाँच अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने उक्त कागज़ के टुकड़े को आवश्यक जाँच के लिए एफ.एस.एल. को नहीं भेजा था। उन्होंने घटनास्थल से एकत्रित खून के धब्बों वाली मिट्टी और खाली कारतूसों को भी आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ.एस.एल. को नहीं भेजा था। इस प्रकार, हमारा यह मानना है कि अ.सा.-7 से अ.सा.9 संयोगवश गवाह हैं।

35. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे एआईआर 1976 एससी 2032 में दर्ज बहाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ-10 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“घटना के समय और स्थान पर अ.सा. 4 और 5 की उपस्थिति के संबंध में विचारण न्यायालय को गंभीर संदेह था। यदि संयोगवश कोई व्यक्ति घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद हो, तो उसे संयोगवश गवाह कहा जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति पीड़ित का रिश्तेदार या मित्र हो या अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता हो, तो उसका संयोगवश गवाह होना संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा साक्ष्य आवश्यक रूप से अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक और गहन जाँच की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, अ.सा. 4 और 5 मृतक के सगे संबंधी थे - उनमें से एक उसका करीबी था। घटनास्थल पर मौजूद होने का उनके द्वारा दिया गया कारण विचारण न्यायालय को सही नहीं लगा। उच्च न्यायालय के पास दोनों संयोगवश गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन से भिन्न राय रखने का कोई ठोस या पर्याप्त कारण नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि प्रतिवादी भी उनका सहयोगी था, लेकिन वे अभियोजन पक्ष के पक्षपाती गवाह प्रतीत हुए और इसलिए उनकी गवाही को विचारण न्यायाधीश ने संदेह की दृष्टि से देखा।”

इस प्रकार, संयोगवश मिले गवाहों के साक्ष्य की सतर्क और गहन जाँच की आवश्यकता होती है।

36. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अ.सा.-13, जाँच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि थाना घटनास्थल से 200 से 250 गज की दूरी पर स्थित है और जब सुबह 8:45 बजे गोलीबारी की सूचना मिली, तो वह तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और

हमलावर का पीछा किया। उन्होंने एक ज़ब्ती सूची भी तैयार की है और खाली कारतूस और खून के धब्बे वाली मिट्टी एकत्र की गई है। हालांकि, प्रति परिक्षण के पैराग्राफ-21 में उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शाम 6:00 बजे तक, जब प्रथमिकी दर्ज की गई थी, किसी ने भी हमलावरों का नाम नहीं बताया था।

37. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि जाँच अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा/रेखाचित्र तैयार नहीं किया है और न ही उन्होंने प्रथम सूचक के घर और घटनास्थल अर्थात् मंगल साहनी की दुकान के बीच की दूरी के बारे में पूछताछ की है। सूचक के घर और घटनास्थल के बीच कई घर स्थित हैं और इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह कहानी कि प्रथम सूचक और उसका भाई प्रत्यक्षदर्शी हैं, विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, यदि मृतक के पुत्र को मृतक द्वारा स्वयं लिखा गया वह कागज़ मिला था, जिसमें घटना के तुरंत बाद हमलावरों के नाम लिखे गए थे, तो उसने उक्त कागज़ और हमलावरों के नाम अपने भाई गणेश गौतम, जो प्रथम सूचक है, को क्यों नहीं बताई? उक्त पर्चा न तो प्रथम सूचक को दिया गया और न ही जाँच अधिकारी को। इसलिए, प्रथम सूचक गणेश गौतम द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उक्त कागज़ के टुकड़े का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, अ.सा.-8 के अनुसार, *मुखियाजी* मौके पर ही बेहोश हो गए थे, इसलिए यह संभव नहीं है कि उन्होंने कागज़ के टुकड़े पर हमलावरों के नाम लिखे हों।

इसके अलावा, अ.सा.-10, गणेश गौतम ने अपने प्रति परिक्षण के पैरा 33 में विशेष रूप से स्वीकार किया कि वर्तमान अपीलकर्ता मणिकांत सिंह उर्फ टुन्ना सिंह की उसके पिता से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष उस बेलसंड अस्पताल के कागजात पेश करने में विफल रहा है जहाँ अभियोजन पक्ष के एक गवाह के अनुसार मृतक का प्राथमिक उपचार किया गया था।

38. इस प्रकार, हमने संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया है और हमारा मानना है कि अभियोजन

पक्ष अपीलकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय त्रुटि की है और इसलिए, उक्त आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है।

39. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-1, सीतामढ़ी द्वारा एस.टीआर. संख्या 168/2012 सह 47/2013, जो बेलसंड थाना कांड संख्या 126/2011 से उत्पन्न हुआ है, में पारित दिनांक 21 जनवरी, 2014 का दोषसिद्धि निर्णय और 27 जनवरी, 2014 का दंडादेश दरकिनार किया जाता है। अपीलकर्ता, जिसका नाम मणीकांत सिंह उर्फ टुन्ना सिंह है, को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

40. अपील स्वीकार की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।